समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

बेवर मे गोद भराई के बाद शादी से इनकार, दहेज मांगने का आरोप ; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिओम

Published on 17 Nov 2025

राजेश चौधरी | मैनपुरी | समाचार वाणी न्यूज़

मैनपुरी जिले के बेवर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ **गोद भराई की रस्म पूरी होने के बाद** युवक पक्ष द्वारा अचानक शादी से इनकार करने पर विवाद गहरा गया है। पीड़िता के पिता ने विवाह से इनकार की वजह **अतिरिक्त दहेज मांगना** बताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेवर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता **श्रीराम पुत्र रामस्वरूप**, निवासी कुंवरपुर बनवारी (छिबरामऊ), ने बताया कि उनकी बेटी की शादी बेवर के **किशनपुर गढ़िया निवासी अभिषेक पुत्र कमल** के साथ तय हुई थी।

- **5 नवंबर 2026** को गोद भराई की रस्म पर **लगभग तीन लाख रुपये** खर्च किए गए।
- शादी की तारीखें **13 फरवरी 2026 (लगुन)** और **18 फरवरी 2026 (विवाह)** तय की गई थीं।

शादी की तैयारियाँ जोरों पर थीं, लेकिन इसी दौरान युवक पक्ष का रवैया बदलने लगा।

श्रीराम का आरोप है कि अभिषेक और उसके पिता कमल शादी के लिए बार-बार टालमटोल करने लगे। जब परिवार ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने **अतिरिक्त दहेज की मांग** शुरू कर दी।

पीड़ित पिता के अनुसार, उन्होंने जब दहेज की मांग पर आपत्ति जताई तो युवक पक्ष:

- गाली-गलौज पर उतर आया
- जान से मारने की धमकी दी

- और शादी से साफ इनकार कर दिया

इससे परिवार मानसिक तनाव में आ गया और उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

बेवर पुलिस ने तहरीर के आधार पर:

- दहेज निषेध अधिनियम
- धमकी देने
- गाली-गलौज
- विवाह से इनकार

से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है।

थाना पुलिस ने बताया कि **साक्ष्यों और बयान के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

घटना के बाद क्षेत्र में दहेज प्रथा को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि कोई भी परिवार आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार न हो।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/हरिओम, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.